20.2.20 वकील प्रार्थीगण / ...

R 13 सपठित धारा 151 जा दी० का पूर्व दिनांक 21.1.20 को पेश किया जिसे आज शामील पत्रावली किया जाकर एकप्रति अप्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलायी गई उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर का जवाब न देकर सीधी बहस करनी चाही। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हो वास्ते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 28.2.20 को पेश हो।

28.2.20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण ने एक राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे पढकर सुनाया गया, जिसे सही मान कर स्वीकार किया गया, बाद तस्दीक राजीनामा को शा० प० किया गया, राजीनामा मे आवेदकगण एव विपक्षी सं. 1, 2 ने बताया कि हमारे दोनो पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है। आवेदकगण ने अपनी आराजी नम्बर 8128, 8130, 8131, 8132, 8133, 8141 8147 कुल किता 07 कुल रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी सं. 8134 मे से 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है जिस पर विपक्षीगण जमीन के बदले जमीन लेकर रास्ता देने पर सहमत है तथा आवेदकगण भी रास्ते के बदले अपनी जमीन आराजी सं. 8133 मे से उतनी ही जमीन विपक्षीगण को देने के लिए सहमत है जिस विपक्षीगण अपने खेतो की कृषि आराजियात आराजी नं. 8134 की दक्षिणी मेड के सहारे पानी की पडपुली की जगह को छोडते हुए 10 फीट चौडा रास्ता देने को सहमत है तथा प्रार्थीगण अपने खेतो की कृषि आराजियात आराजी नं. 8135 मे से पश्चिमी मेड के सहारे आराजी नं. 8134 के लगती हुई जितनी जमीन रास्ते मे जाती है

सत्यनारायण

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

इतनी जमीन एव 01 फीट चौड़ी अतिरिक्त जमीन देने मे सहमत है।

मैने पत्रावली मे प्रस्तुत आपसी राजीनामे को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डल को आदेशित किया जाता है। प्रार्थीगण की आराजी नं-8128, 8130, 8131, 8132, 8133, 8141, 8147 कुल किता 07 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी नं. 8134 मे से 10 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है. विपक्षीगण की उक्त आराजियात मे से 10 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात सं- 8133 मे से उतनी ही जमीन विपक्षीगण को दि जाये। विपक्षीगण अपनी खेती की कृषि आराजियात आराजी नं. 8134 की दक्षिणी मेढ़ के सहारे पानी की पडगुली की जगह को छोड़ते हुए 10 फीट चौड़ा रास्ता देने मे सहमत है तथा प्रार्थीगण की आराजियात आराजी नं 8135 मे से पश्चिमी मेढ़ के सहारे आराजी नं. 8134 के लगती हुई जमीन रास्ते मे जाती है उतनी ही जमीन एव 1 फीट चौड़ी अतिरिक्त जमीन दी जावे। रास्ते के बदले मे जो जमीन आवेदकगण द्वारा विपक्षीगण को दी जानी है उसका नजरी नक्शा राजीनामे के साथ प्रस्तुत किया है व राजीनामे का अभिन्न अंग रहेगा। अतः तहसीलदार मांडल को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त राजीनामे नुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर राजस्व [illegible] नक्शे मे तरमीम की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा